



**\*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\***  
**\*(पत्रांक-152/2022 दिनांक 01.06.2022)\***



**\*दिनांक- 01.06.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)\***

**\*लगभग 05 लाख रुपये की भिन्न भिन्न ब्रांड की नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़\***

आज दिनांक- 01.06.2022 को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कुंदन सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 31.05.2022 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस टीम द्वारा कस्बा नाला हाटा के पास से भिन्न भिन्न ब्रांड की नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री भंडाफोड़ करते हुए मौके से भारी मात्रा में नकली शैम्पू व शैम्पू बनाने का सामान आदि को बरामद कर 03 अभियुक्त 1.इकरार खान पुत्र इकबाल खान निवासी खान्डा थाना बरैन जनपद आगरा, 2.नीरज कुमार कुशवा पुत्र निहाल सिंह कुशवा निवासी खान्डा थाना बरैन जनपद आगरा, 3.सामुदीन पुत्र मुनौव्वर निवासी बेदई थाना सादाबाद जिला हाथरस हा0मु0 पी-16 कृष्ण विहार थाना सुल्तानपुरी पुरानी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 245/2022 धारा 420/406/411 भादवि व 63/65 कापीराइट एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**\*पूछताछ का विवरण-\***

अभियुक्तों से पूछताछ में बताया गया कि हम लोग नकली शैम्पू बनाकर माल तैयार कर भिन्न-भिन्न कम्पनियों का सैम्पल बाटल रखकर असली की तरह तैयार कर लिया जाता था तथा दुकानदारों से सम्पर्क कर या उनके पास जाकर असली कम्पनी का सैम्पल दिखाकर उन्हें सस्ते दाम पर देने की बात तय कर उनसे सौदा तय कर लिया जाता है तथा उनसे पैसा लेकर उन्हें नकली शैम्पू दे दिया जाता था।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 245/2022 धारा 420/406/411 भादवि व 63/65 कापीराइट एक्ट

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1-इकरार खान पुत्र इकबाल खान निवासी खान्डा थाना बरैन जनपद आगरा

2-नीरज कुमार कुशवा पुत्र निहाल सिंह कुशवा निवासी खान्डा थाना बरैन जनपद आगरा

3-सामुदीन पुत्र मुनौव्वर निवासी बेदई थाना सादाबाद जिला हाथरस हा0मु0 पी- 16 कृष्ण विहार थाना सुल्तानपुरी पुरानी दिल्ली

**\*बरामदगी का विवरण-\***

1.लोरियल कम्पनी का शैम्पू- 195.5 एमएल- 570 पीस

2.ट्रेसमी कम्पनी का शैम्पू- 185 एमएल- 160 पीस

3.डव कम्पनी का शैम्पू- 180 एमएल- 490 पीस

4.क्लीनिक प्लस कम्पनी का शैम्पू- 175 एमएल- 375 पीस

5.हेडएंड सोल्डर कम्पनी का शैम्पू- 180 एमएल- 320 पीस

6.सनसिल्क कम्पनी का शैम्पू- 180 एमएल- 260 पीस

7.पतंजलि कम्पनी का शैम्पू- 200 एमएल- 31 पीस

8.सभी मिश्रित कम्पनी का शैम्पू- 145 पीस, विभिन्न कम्पनी के शैम्पू का खाली डिब्बा-225 पीस, नकली शैम्पू बनाने का पाउडर-14 किलो, खाली गैलन-04, 01 टब में बनाया हुआ 05 लीटर शैम्पू व 4000/- रूपये नगद (कुल 2576 पीस शैम्पू)।

**\*बरामद व गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार सिंह थाना को0हाटा, 2.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार पाण्डेय सर्विलांश सेल जनपद कुशीनगर, 3.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार यादव थाना को0हाटा, 4.उ0नि0 श्री चन्दन प्रजापति थाना को0हाटा, 5.उ0नि0 श्री गौरव वर्मा थाना को0हाटा 6.हे0का0 हिमांशु सिंह थाना को0हाटा. 7.क0आ0 सुशील सिंह सर्विलांश सेल, 8.क0आ0 शम्मी सिंह सर्विलांश सेल, 9.का0 अभिषेक यादव सर्विलांश सेल जनपद कुशीनगर, 10.का0 फैजे आलम थाना को0हाटा, 11.का0 सचिन यादव थाना को0हाटा, 12.का0 सुनील यादव थाना को0हाटा मय टीम जनपद कुशीनगर।

**\*राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर पिकप वाहनों के चालक से मारपीट कर बंदी बनाना व पैसे/रंगदारी मागने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा NH-28 से सटे ग्राम खुदरा में पिकप वाहनों को रोककर वाहन चालकों से मारपीट कर उन्हें बंदी बनाकर पैसे/रंगदारी माँगने वाले गिरोह का एक नफर अभियुक्त श्रीनिवास पाण्डेय पुत्र स्व0 सुरेन्द्र पाण्डेय साकिन खुदरा बाजार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 297/2022 धारा 147/323/342/384 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**\*घटना का संक्षिप्त विवरण-\***

दिनांक 31.05.2022 को विशाल सिंह पुत्र हरेराम सिंह निवासी दनियाड़ी थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं पशु पालन हेतु छपिया मेला गोरखपुर से दुधारु एवं गर्भवती गाय खरीदकर वाहन संख्या UP 57 T 2965 से जा रहा था कि रास्ते में खुदरा गांव के पास कुछ अज्ञात 10-12 व्यक्तियों द्वारा इनकी गाड़ी रोककर विशाल उपरोक्त से मार पीट करते हुए वाहन से कुछ दूर ले जाकर बंदी बनाकर रखा गया एवं छोड़ने हेतु पैसे की मांग की जाने लगी। पैसे देने पर असर्थता जाहिर करने पर वाहन स्वामी अंशु यादव पुत्र संतोष यादव नि0 कोइन्दहा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के मो0नं0 पर कई नम्बरों से फोन करके पैसे की मांग की गयी एवं बताया गया कि जब पैसे दोगे तभी ड्राइवर को छोड़ा जायेगा। पैसे मिलने के आश्वासन पर ड्राइवर विशाल सिंह को छोड़ा गया।

**\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 297/2022 धारा 147/323/342/384भादवि

**\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

श्रीनिवास पाण्डेय पुत्र स्व0 सुरेन्द्र पाण्डेय साकिन खुदरा बाजार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

- 1.उ0नि0 विपिन सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2.का0 विलास यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 49 नफर अभियुक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-0, ई-चालान- 46 वाहन।
- 2.107/116 जा0फौ0 में कार्यवाही-मु0-68, व्यक्ति-199
- 3.110 जा0फौ0 में कार्यवाही-19
- 4.34/290 में कार्यवाही-10
- 5.वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- \*6.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-53)\*

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***

